इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021

drishtiias.com/hindi/printpdf/indian-telegraph-right-of-way-amendment-rules-2021

प्रिलिम्स के लिये:

डिजिटल इंडिया मिशन, भारतनेट परियोजना, 5G

मेन्स के लिये:

भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 की विशेषताएँ एवं महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने **भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित** किया है।

> इस नियम का उद्देश्य भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स, 2016 में **ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिये नाममात्र एकमुश्त मुआवज़े** और एक समान प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को शामिल करना है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - **मुआवज़ा:** ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिये एकमुश्त मुआवज़े की राशि **अधिकतम एक हज़ार रुपए प्रति किलोमीटर** होगी।
  - **राइट ऑफ वे (RoW):** ये संशोधन देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढाँचे की स्थापना और वृद्धि के लिये राइट ऑफ वे (RoW) से संबंधित अनुमति प्रक्रियाओं को आसान बनाएंगे।
    - इससे पहले RoW नियमों में केवल भूमिगत **ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC)** और मोबाइल टावर शामिल थे।
  - **शुल्क:** भूमिगत और ओवरग्राउंड टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, रखरखाव, स्थानांतरण या परिवर्तित के लिये **प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं** होगा।

- **महत्त्व:**
    - इसमें **डिजिटल इंडिया मिशन** और **भारतनेट परियोजना** के अनुरूप **ग्रामीण-शहरी** तथा **अमीर-गरीब** के बीच **डिजिटल डिवाइड** को समाप्त करना शामिल है।
    - **ई-गवर्नेंस और वित्तीय समावेशन को मज़बूत किया जाएगा।**
    - **व्यवसाय शुरू** करना अधिक आसान होगा।
    - नागरिकों व उद्यमों की **सूचना और संचार** ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा (**5G** सहित)।
    - भारत को **डिजिटल रूप से सशक्त** समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य/सपने को हकीकत में तब्दील किया जाएगा।

स्रोत: पीआईबी